देश में रुग्ण उद्योगों की संख्या

1467. **श्री जनार्दन यादव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान स्थिति के अनुसार देश में रुग्ण/बीमार उद्योगों की संख्या क्या है ;

(ख) क्या उन रुग्ण उद्योगों को पुनरुज्जीवित करने की कोई योजना है ;

(ग) क्या हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन (एच०ई०सी०) (रांची) और कुमार ध्रुवी (धनबाद) को पुनरुज्जीवित करने का कोई प्रस्ताव उद्योग मंत्रालय के पास लम्बित पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त दोनों उद्योगों को पुनरुज्जीवित करने का कार्य कब प्रारम्भ किया जाएगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) देश में बैंकों द्वारा सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एकत्र किए जाते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, 30 सितंबर, 1992 को देश में लघु क्षेत्र और गैर-लघु क्षेत्र में रुग्ण औद्योगिक एककों की संख्या क्रमश: 233441 और 1599 थी।

(ख) सरकार ने देश में रुग्ण औद्योगिक इकाईयों को फिर से चालू करने के लिए कई उपाय किए हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं। **(नीचे देखिए)**

(ग) और (घ) एच०ई०सी० (रांची) और कुमार ध्रुवी (धनबाद) दोनों कंपनियों के मामलों की सुनवाई बी०आई० एफ०आर० द्वारा की गई है और इन कंपनियों को रुग्ण घोषित कर दिया गया है और रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के उपबन्धों के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

विवरण

रुग्ण औद्योगिक एककों को फिर से चालू करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

सरकार ने एक व्यापक कानून अर्थात् "रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम 1985" बनाया है। इस अधिनियम के अधीन "औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड" (बी०आई०एफ०आर०) नामक एक अर्धन्यायिक निकाय की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य रुग्ण औद्योगिक कंपनियों की समस्याओं को कारगर ढंग से निपटाना है, जिसने 15 मई, 1987 से कार्य करना शुरू कर दिया है।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक ने मानीटरी प्रणाली को मजबूत बनाने और प्रारंभिक अवस्था में ही औद्योगिक रुग्णता को रोकने हेतु बैंकों को दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि उचित समय पर सुधारात्मक उपाय किए जा सकें।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जीव्यक्षम इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनःस्थापना पैकेज तैयार करने हेतु भी बैंकों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। बैंक तथा वित्तीय संस्थान रुग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुरःस्थापना पैकेज बनाते हैं।

(4) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अलग से दिशा-निर्देश जारी किए हैं जिनमें उन मापदण्डों को बताया गया है जिनके अधीन बड़े तथा लघु दोनों क्षेत्रों में जीव्यक्षम रुग्ण इकाइयों की पुनःस्थापना हेतु बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक से बिना पूछे ही राहत एवं रियायतों की स्वीकृति दे सकेंगे।

(5) रुग्ण एककों का स्वस्थ एककों के साथ समामेलन/विलयन करके भी रुग्ण औद्योगिक एककों को फिर से जीवित किया जाता है। समामेलित रुग्ण एकक की पुनर्स्थापना के लिए स्वस्थ एकक को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 72(क) के तहत कर लाभ दिए जाते हैं।

(6) सरकार ने राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना की है जो अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक पुनर्गठन के कारण

प्रभावित कामगारों को मुआवजे का भुगतान कराने की व्यवस्था भी करेगी ।

(7) भारत सरकार की सलाह से भारतीय रिजर्व बैंक ने जीव्यक्षम रुग्ण लघु एककों के पुनरुज्जीवन के लिये पुनर्स्थापन पैकेज तैयार करने के लिये संबंधित राज्य सरकारों के उद्योग विभाग के सचिव की अध्यक्षता में सभी राज्यों में राज्य स्तरीय अन्तरसंस्थान समितियां (एस०एल०आई०आई०सी०) स्थापित की है ।

(8) अगस्त 1987 में स्थापित राष्ट्रीय इक्विटी निधि से संभावित जो व्यक्षम रुग्ण लघु औद्योगिक एककों जिन की परियोजना लागत 10 लाख रु० से अधिक नहीं है को 1 प्रतिशत की मामूली वार्षिक दर से सेवा प्रभार से लेकर 1,50,000 रु० तक दीर्घावधि इक्विटी सहायता के रूप में वित्तीय सहायता भी मिल जाती है ।

(9) अत्यन्त लघु और लघु उद्योगों के लिये एक शीर्ष बैंक के रूप में कार्य करने के लिये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के रूप में कार्य करने के लिये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की स्थापना की गई है ।

संभावित जीव्यक्षम रुग्ण औद्योगिक एककों को फिर से चालू करने के लिये सिडबी द्वारा पुनर्स्थापना के लिये एक अलग पुनर्वित्त योजना चलाई जा रही है ।

BHEL's agreement with State Governments

1468. SYED SIBTEY RAZI: Will he PRIME MINISTER be pleased to Late:

(a) whether Bharat Heavy Elec ricals Limited (BHEL) has entered Uo agreement with some State Go-ernments for supply, supervision of rection and commissioning of tur-ine and steam generators;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government propose o ask the B.H.E.L. to make simi-ar agreement with State Govern, nent of Andhra Pradesh for supply, supervision of erection and commissioning of turbine and steam generators; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) to (d) Yes; Sir. BHEL hag entered into agreements with various State Governments/State Electricity Boa, rds/Power Corporation (including that of Andhra Pradesh) for supply and supervision of erection and commissioning of turbine and steam gen-
erators.

As on 31st March, 1994 out of the total installed generating capacity of 75512 MW in the country, the power generating capacity created through BHEL equipments supplied to vari_ ous State Governments/State Electricity Boards/Power Corporations is 50115 MW.

भारी उद्योगों को हुआ घाटा

1469. **श्री शंकर दयाल सिंह:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में भारी उद्योगों के अन्तर्गत आने वाली इकाइयों के नाम क्या-क्या हैं;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान इन इकाइयों में से किन-किन इकाइयों को लाभ तथा किन-किन को घाटा हुआ है;

(ग) क्या सरकार ने घाटे में चलने वाली इकाइयों को लाभप्रद बनाने के लिये कोई योजना बनाई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?